ऑन लाईन नं. GCMS 2025/126

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 38/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

1. श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विक्रेता), मै. खालसा सप्लीमेंट स्टोर, वी जी-1, बालाजी शॉपिंग मॉल, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, निवासी 24 ओ, करणपुर, हाल वार्ड न. 32 वासुदेव नगर, मकान नं. 32, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 28.11.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक-संख्या प.5 (01) चिस्या / ग्रुप-3 / ई-5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक-आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.04.2025 को समय 02.30 पीए बजे को **मै. खालसा सप्लीमेंट स्टोर, वी जी-1, बालाजी शॉपिंग मॉल, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विक्रेता) को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण किया, निरीक्षण करने पर संस्थान के रैक पर रखे 02-02 किलो के तीन Sorted packed खाद्य पदार्थ **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया व रैक पर 02-02 किलो के तीन Sorted Packed जिसमें 32-32 ग्राम के पाउच को **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** को आमजन में विक्रय वास्ते होना बाताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विकेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विकेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध रैक में रखे 02-02 किलो के तीन Sorted Packed में से एक पैक से **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** 32-32 ग्राम के 60 पाउच को मालिक से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **Cure Fuel**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement) का नगद भुगतान 3140 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** को 32–32 ग्रम के 60 पाउच को 15–15 पाउच बराबर भाग में बांटकर चार डिब्बों में भरकर लिया और चारो डिबों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2776** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2776** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./462/Act/2024/462 Dated 01-05-2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2776 SubStandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। **श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विकेता) ने मै. Stark Nutrition Private Limited, A34, Sector-4 Gautam Buddha nagar, Noida Uttar Pradesh** से बिल दिनांक 25.04.2025 द्वारा माल खरीद बिल की छाया प्रति स्वयं के नाम की प्रस्तुत किए, जो नमूना लेने की दिनांक 21.04.2025 के बाद का है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विकेता), मै. खालसा सप्लीमेंट स्टोर, वी जी–1, बालाजी शॉपिंग मॉल, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, निवासी 24 ओ, करणपुर, हाल वार्ड न. 32 वासुदेव नगर, मकान नं. 32, जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी मैसर्स खालसा सप्लीमेन्ट स्टोर, वीजी–1, बालाजी शॉपिंग मॉल, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जरिये मालिक हर्षदीप सिंह सिधु पुत्र श्री जगदेव सिंह का हूँ। आपके नोटिस में खाद्य अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (11)/51 एफ.एफ.एस.ए. 2006 सपठित नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत पेश किया गया कि दिनांक 21–04–2025 को दोपहर बाद 02:30 पी.एम. पर मेरे पास पहुंचे व वहां मालिक की हैसियत से मौजूदा था एवं आम जनता को खाद्य पदार्थ **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** को विक्रय हेतु बताया। संस्थान का निरीक्षण किया दो–दो किलो के तीन पैकेज **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** रखा हुआ था जो आमजन को विक्रय हेतु होना बताया जिसमें आपके द्वारा उक्त पैकेज बाद जांच अमानक पाया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा न तो उक्त पैकेज व पैकेज में उपस्थित सामान को अपने स्तर पर कभी तैयार नही किया गया है प्रार्थी द्वारा तो उक्त पैकेज को कम्पनी से खरीदकर ही आमजन को वैचान किया जाता है एवं उक्त तीनों पैकेज में से एक पैकेज श्रीमान द्वारा कार्यालय में लाया गया है और दो पैकेज प्रार्थी द्वारा वापिस कम्पनी को रिफण्ड कर दिये गये है अर्थात् प्रार्थी ने **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** का कोई भी पैकेज आमजन को बैचान नही किया गया है। उक्त पैकेज पर एफ.एस.एस.ए.आई. का मार्का भी उपस्थित है तथा प्रार्थी आईन्दा उक्त **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** का कोई पैकेज का बैचान आमजन को नही करेगा इसलिए प्रार्थी पर दर्ज किया गया उक्त प्रकरण इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाना आवश्यक है।

अतः जवाब नोटिस श्रीमानजी के कार्यालय में पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी के जवाब को मध्यनजर रखते हुए उक्त अनवानी नोटिस व प्रकरण इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Cure Fuel Whey Protein Power(Muscle Throne)(Health Supplement)** का सैम्पल **K-2776** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L. .S./462/Act/2024/462 Dated 01-05-2025 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के जवाब को मध्यनजर रखते हुए उक्त अनवानी नोटिस व प्रकरण इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर किया जाने का आदेश फरमाया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cure Fuel Whey Protein Power (Health Supplement)"** bearing Code No and Sr. No. **K-2776**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Substandard food as on analysis Found to Contain less protein content then declared on the label of the sample.**की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विक्रेता), मै. खालसा सप्लीमेंट स्टोर, वी जी–1, बालाजी शॉपिंग मॉल, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, निवासी 24 ओ, करणपुर, हाल वार्ड न. 32 वासुदेव नगर, मकान नं. 32, जिला श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री हर्षदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह(मालिक व विक्रेता), मै. खालसा सप्लीमेंट स्टोर, वी जी–1, बालाजी शॉपिंग मॉल, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, निवासी 24 ओ, करणपुर, हाल वार्ड न. 32 वासुदेव नगर, मकान नं. 32, जिला श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर।